न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 898 / 2024

अनवान : –

1. रेशमी पुत्री जयलाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. मनोहरलाल पुत्र जयलाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
2. सुलतान सिंह पुत्र जयलाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
3. सुशीला पुत्री जयलाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 19/9/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 7 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 461 / 418 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि में से मृतक परमेश्वरी उर्फ रामेश्वरी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के 1 / 5 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 10 एनटीआर तहसील भादरा के खाता स0 95 / 66 की कुल 3.2890 हैक्ट भूमि में से 456 / 3289 हिस्सा भूमि रामेश्वरी पत्नी जयलाल व 35 / 253 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के तथा 961 / 3289 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 व 911 / 6578 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज है तथा रोही मौजा 1 बारानी तहसील भादरा के खाता स0 145 / 98 की कुल 8.0960 हैक्ट भूमि मे से 683 / 8096 हिस्सा भूमि रामेश्वरी पत्नी जयलाल व 683 / 8096 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के नाम दर्ज है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मृतक रामेश्वरी उर्फ परमेश्वरी पत्नी जयलाल व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। रामेश्वरी उर्फ परमेशवरी का देहान्त हो चुका है। रामेश्वरी उर्फ परमेश्वरी पत्नी जयलाल के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 है जो की अपने हक अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अ[illegible]वादीगण आपस मे सगे भाई बहिन है। प्रतिवादी संख्या 1 उक्त वाद भूमि में कोई [illegible] चाहता है प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त वाद भूमि में अपना समस्त हक [illegible] में त्याग कर शुन्[illegible] लिया है। बाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.24 17:40:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हक त्याग वाद भूमि पर वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 काबिज है। जिसकी वादीया न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादीया ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीया के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीयरा का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य वाद से संबंधित नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण पत्र रामेश्वरी दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम वाद भूमि विरासतन दर्ज हुई है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मृतक रामेश्वरी उर्फ परमेश्वरी पत्नी जयलाल व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। रामेश्वरी उर्फ परमेशवरी का देहान्त हो चुका है। रामेश्वरी उर्फ परमेश्वरी पत्नी जयलाल के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 है जो की अपने हक अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीया व प्रतिवादीगण आपस मे सगे भाई बहिन है। प्रतिवादी संख्या 1 उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहता है प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त वाद भूमि में अपना समस्त हक वादीया के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.24 17:40:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 7 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 461/418 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि में से मृतक परमेश्वरी उर्फ रामेश्वरी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के 1/5 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 10 एनटीआर तहसील भादरा के खाता स0 95/66 की कुल 3.2890 हैक्ट भूमि में से 456/3289 हिस्सा भूमि रामेश्वरी पत्नी जयलाल व 35/253 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के तथा 961/3289 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 व 911/6578 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज है तथा रोही मौजा 1 बारानी तहसील भादरा के खाता स0 145/98 की कुल 8.0960 हैक्ट भूमि मे से 683/8096 हिस्सा भूमि रामेश्वरी पत्नी जयलाल व 683/8096 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के नाम दर्ज है वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम वाद भूमि विरासतन दर्ज हुई है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मृतक रामेश्वरी उर्फ परमेश्वरी पत्नी जयलाल व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। रामेश्वरी उर्फ परमेशवरी का देहान्त हो चुका है। रामेश्वरी उर्फ परमेश्वरी पत्नी जयलाल के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 है जो की अपने हक अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीया व प्रतिवादीगण आपस मे सगे भाई बहिन है। प्रतिवादी संख्या 1 उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहता है प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त वाद भूमि में अपना समस्त हक वादीया के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 काबिज है, वादी के उक्त कथनो को प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 7 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 461/418 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि में मृतक परमेश्वरी उर्फ रामेश्वरी व प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर एवं रोही मौजा 10 एनटीआर तहसील भादरा के खाता स0 95/66 की कुल 3.2890 हैक्ट भूमि में 456/3289 हिस्सा भूमि रामेश्वरी पत्नी जयलाल व 35/253 हिस्सा भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर तथा रोही मौजा 1 बारानी तहसील भादरा के खाता स0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sarhwal
Date: 2024.09.24 17:40:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

145/98 की कुल 8.0960 हैक्ट भूमि मे 683/8096 हिस्सा भूमि रामेश्वरी पत्नी जयलाल व 683/8096 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर उक्त तीनो तीनो खातों की भूमि में वादी को 1/2 हिस्सा भूमि का तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 प्रत्येक को 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 7 बारानी के खाता स0 461/418 में वादीया का नाम गुडी पुत्री जयलाल के स्थान पर रेशमी पुत्री जयलाल के अंकन की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19/9/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.24 17:40:32 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 898/2024

अनवान : –

1. रेशमी पुत्री जयलाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. मनोहरलाल पुत्र जयलाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
2. सुलतान सिंह पुत्र जयलाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
3. सुशीला पुत्री जयलाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 898 सन 2024 निर्णय दिनांक 19/9/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मांगेराम गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 7 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 461/418 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि में मृतक परमेश्वरी उर्फ रामेश्वरी व प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर एवं रोही मौजा 10 एनटीआर तहसील भादरा के खाता स0 95/66 की कुल 3.2890 हैक्ट भूमि में 456/3289 हिस्सा भूमि रामेश्वरी पत्नी जयलाल व 35/253 हिस्सा भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर तथा रोही मौजा 1 बारानी तहसील भादरा के खाता स0 145/98 की कुल 8.0960 हैक्ट भूमि मे 683/8096 हिस्सा भूमि रामेश्वरी पत्नी जयलाल व 683/8096 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर उक्त तीनो तीनो खातों की भूमि में वादी को 1/2 हिस्सा भूमि का तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 प्रत्येक को 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 7 बारानी के खाता स0 461/418 में वादीया का नाम गुडी पुत्री जयलाल के स्थान पर रेशमी पुत्री जयलाल के अंकन की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/9/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.24 17:40:32 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर